शराब और पोर्क पेश करने वाले रेस्तरां में छात्रों का काम करना

﴿ عمل الطلاب في مطاعم تقدم الخمر والخنزير ﴾

[*हिन्दी* - **Hindi** - هندي]

मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2009 - 1430

islamhouse.com

﴿ عمل الطلاب في مطاعم تقدم الخمر والخنزير ﴾

« باللغة الهندية »

محمد صالح المنجد

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2009 - 1430

islamhouse.com

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

शराब और पोर्क पेश करने वाले रेस्तरां में छात्रों का काम करना

प्रश्न :

इस देश में बहुत से मुस्लिम छात्रों को पढ़ाई और रहन सहन के खर्च को कवर करने के लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि उनमें से बहुत से पर्याप्त रूप से अपने परिवार से खर्च नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनके लिए काम करना एक जरूरत बन जाता है जिसके बिना जीवन यापन नहीं कर सकते। अक्सर उन्हें ऐसे रेस्तरां के अलावा कहीं काम नहीं मिलता जिसमें शराब बेची जाती है, या पोर्क और अन्य हराम चीज़ों वाले खाने पेश किए जाते हैं। प्रश्न यह है कि इन स्थानों में काम करने का क्या हुक्म है? तथा मुसलमान के लिए शराब और सुअर बेचने, या शराब बनाने और उसे ग़ैर-मुस्लिमों को बेचने का क्या हुक्म है? ध्यान रहे कि इस देश में कुछ मुसलमानों ने इसे अपना पेशा (व्यवसाय) बना रखा है।

उत्तर :

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है

यदि मुसलमान शरीअत मैं वैध कोई काम न पाए तो इस शर्त के साथ काफिरों के रेस्तरां में काम कर सकता है कि वह स्वयं शराब पिलाने, या उसे उठाकर लाने, या उसे बनाने या उसका व्यापार करने का काम न करे। यही प्रावधान सुअर का मांस और उसके समान अन्य निषिद्ध चीज़ों को पेश करने का भी है।

(मज्मउल फ़िक़्ह अल–इस्लामी, पृष्ठ :45)